

भारत सरकार  
मानव संसाधन विकास मंत्रालय  
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग  
राज्य सभा  
अतारांकित प्रश्न सं. 1197  
उत्तर देने की तारीख: 23 मार्च, 2012

## शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए राज्यों को सहायता

### 1197. श्री पी० राजीव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा राज्य-वार आवंटित बजट कितना है;
- (ख) अभी तक राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;
- (ग) क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने में शत-प्रतिशत सहायता की राज्यों की मांग पूरी करने के लिए अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं तथा तत्संबंधी व्यौरा क्या है; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री  
(डा. डी. पुरुषेश्वरी)

(क) से (घ): निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुआ और सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के कार्यान्वयन को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल संशोधित किया गया है। शिक्षा का अधिकार-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय बजट आबंटन वर्ष 2010-11 के लिए 19,838 करोड़ रुपए, वर्ष 2011-12 के लिए 21,000 करोड़ रु. तथा वर्ष 2012-13 के लिए 25,555 करोड़ रु. किया गया। वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की अवधि के लिए केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी की गई राशियों का विवरण, संलग्नक में संलग्न किया गया है।

सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सर्व शिक्षा अभियान हेतु निधि हिस्सेदारी पैटर्न को मूल रूप में रलाइंडिंग स्केल में इस तरह से अनुमोदित किया गया था कि 11 वीं योजना के अन्तिम वर्ष (2011-12) में केन्द्र तथा राज्य सरकारों का हिस्सा 50:50 के अनुपात में होगा। तथापि संशोधित शिक्षा का अधिकार- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा निधियों की बढ़ी हुई जरूरत को देखते हुए केन्द्र तथा राज्यों के बीच निधि हिस्सेदारी पैटर्न को वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए संशोधित करके 65:35 अनुपात किया गया था। पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के बीच निधि हिस्सेदारी पैटर्न 90:10 अनुपात जारी रहेगा। 13 वें वित्त आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के लिए राज्यों को 24068 करोड़ रु. निर्धारित किए हैं तथा यह राशि वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार शिक्षा का अधिकार- सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को कार्यान्वयन के लिए राज्यों को भी प्रदान की गई है।

## संलग्नक

शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए राज्यों को सहायता के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री पी.राजीव द्वारा दिनांक 23.03.2012 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1197 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए गए अनुदान को दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपए में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (पूर्वोत्तर के अलावा)	वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई राशि (केब्लीय हिस्सा)	वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई राशि (केब्लीय हिस्सा) (केब्लीय हिस्सा) (05-03-2012 तक)
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	81000.00	183551.72
2	बिहार	204789.63	165908.20
3	छत्तीसगढ़	87863.00	58940.22
4	गोवा	671.27	1079.14
5	गुजरात	44065.01	74350.79
6	हरियाणा	32786.11	40461.41
7	हिमाचल प्रदेश	13786.66	14192.78
8	जम्मू और कश्मीर	40348.79	30070.50
9	झारखण्ड	89562.26	57903.46
10	कर्नाटक	66903.00	62788.35
11	केरल	19660.73	17021.85
12	मध्य प्रदेश	176783.00	190427.12
13	महाराष्ट्र	85537.00	117962.58
14	उड़ीसा	73177.85	92719.98
15	पंजाब	39612.74	48112.44
16	राजस्थान	146182.29	139838.43
17	तमिलनाडु	69068.57	66937.15
18	उत्तर प्रदेश	310462.88	245268.64
19	उत्तराखण्ड	25793.94	20092.49
20	पश्चिम बंगाल	174703.17	167952.74
21	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	357.78	907.36
22	चंडीगढ़	2155.89	1311.21
23	दादरा और नगर हवेली	413.78	564.35
24	दमन एवं दीव	162.99	230.06
25	दिल्ली	3552.71	2135.08
26	लक्ष्मीप	127.39	127.86
27	पुदुचेरी	485.38	557.62
	<b>कुल गैर पूर्वोत्तर</b>	<b>1790013.82</b>	<b>1801413.53</b>
	<b>राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (पूर्वोत्तर के अलावा)</b>	<b>वर्ष 2010-11 के दौरान जारी की गई राशि (केब्लीय हिस्सा)</b>	<b>वर्ष 2011-12 के दौरान जारी की गई राशि (केब्लीय हिस्सा) (05-03-2012 तक)</b>
1	अरुणाचल प्रदेश	20401.77	8880.10
2	অসম	76854.35	106921.15
3	মণিপুর	13253.77	2940.55
4	মেঘালয়	18540.90	14410.60
5	মিজোরাম	10115.31	9314.05
6	নাগালেণ্ড	8636.83	4798.33
7	সিকিম	4469.19	3022.84
8	ত্রিপুরা	17121.48	17309.23
	<b>কुल पूर्वोत्तर</b>	<b>169393.60</b>	<b>167596.85</b>
	<b>কुल যোগ</b>	<b>1959407.42</b>	<b>1969010.38</b>

\*\*\*